NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : NCRES/84/21 Date : 1.1.2021

श्रीमान प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :– खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) के पद को असंवेदनशील पद घोषित किया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के Food Safety & Standard Authority of India की सलाह पर रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र दिनांक 24.3.2015 के द्वारा FSO का 3 पद स्वीकृत कर हेल्थ एवं मलेरिया कोटि से एक–एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) प्रत्येक मण्डल में पदस्थ करने का आदेश दिया, जिसपर NCR के तीनो मण्डलो में एक–एक FSO पदस्थ किये गये। यहाँ उल्लेख करना उचित होगा कि उस समय FSO का पद Non Sensitive की श्रेणी में था।

अवगत कराना है कि FSO को निर्धारित कार्य के साथ–साथ रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) का कार्य करने के कारण ही नार्थ सेन्ट्रल रेलवे द्वारा FSO के पद को संवेदनशील पद की तरह माना जा रहा था और अब रेलवे बोर्ड ने RBE 67/2020 दिनांक 18.8.2020 जारी कर FSO का पद संवेदनशील घोषित कर दिया है।

यहाँ यह भी अवगत कराना आवश्यक है कि रेलवे बोर्ड द्वारा उपरोक्त RBE No. 67/2020 Dt. 18.8.2020 जारी किये जाने के बाद Food Safety & Standard Authority of India (FSSAI) ने अपने पत्र दिनांक 1.9.2020 के द्वारा रजिस्ट्रेशन का कार्य FSO से अलग कर Designated Officer (DO) को दे दिया है, और FSSAI का यह निर्देश दिनांक 15.9.2020 से प्रभावी भी हो गया है। इस सम्बन्ध में NCRES का स्पष्ट मत है कि रजिस्ट्रेशन का कार्य DO को सौंप दिये जाने के पश्चात् FSO के पास ऐसा कोई कार्य नही रह जाता जिससे FSO के पद को संवेदनशील श्रेणी में रखा जाय।

ESSAI द्वारा जारी पत्र दिनांक 1.9.2020 के बाद NFIR ने अपने पत्र दिनांक 29.9.2020 द्वारा रेलवे बोर्ड को अवगत कराया है कि FSSAI ने पंजीकरण सम्बन्धी कार्य FSO से वापस लेकर Designated Officer (DO) को सौंप दिया है, इस कारण FSO के पद को संवेदनशील पद माने जाने सम्बन्धी जारी RBE No. 67/2020 दिनांक 18.8.2020 वापस ले लिया जाना चाहिये ताकि पूर्व के समान FSO के पद को Non Sensitive Post समझा जाय।

NCRES को यह भी अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 18.8.2020 से FSO के पद को संवेदनशील पद घोषित किये जाने के बाद FSO के पद पर कार्यरत कर्मचारी बहुत परेशान है क्योकि संवेदनशील पद पर कार्यरत रहने के कारण उन्हें प्रत्येक चार वर्ष में एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरित किया जायेगा जिसके कारण उनके बच्चो की शिक्षा एवं अभिभावको तथा आश्रितो की देखभाल पर प्रभाव पड़ेगा। यह भी अवगत कराना है कि FSO का पद संवेदनशील घोषित किये जाने के बाद, मंहगाई, बच्चो की शिक्षा एवं अभिभावक तथा आश्रितो की देखभाल के चलते हेल्थ एवं मलेरिया निरीक्षक कैडर में कार्यरत कोई भी कर्मचारी अब FSO के पद पर कार्य करने का इच्छुक नही है।

अतः NCRES का अनुरोध है कि FSSAI के द्वारा जारी दिनांक 1.9.2020 के पत्र के बाद FSO के पद पर कार्यरत एवं हेल्थ व मलेरिया निरीक्षक कैडर में कार्यरत कर्मचारियों की भावनाओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये रेलवे बोर्ड से अनुरोध किया जाय कि रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी कार्य FSO से अलग कर दिये जाने के बाद FSO के पद को पूर्व के समान असंवेदनशील पद ही समझा जाय और बोर्ड से जारी RBE No. 67/2020 दिनांक 18.8.2020 शून्य (null and void) घोषित किया जाय।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी को उचित कार्यवाही हेतु।